दिनांक–06.05.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

---

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् हैः–
   (1) श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   (2) श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   (3) श्री नजर हुसैन, अपर सचिव
   (4) श्री मो0 वसीम अहमद, विशेष कार्य पदाधिकारी
   (5) श्री निर्भय कुमार सिंह, अवर सचिव
   (6) श्री ललित राही, विशेष कार्य पदाधिकारी

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। जो DDC या DPRO बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित है, उनसे स्पष्टीकरण किये जाने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालनः– प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–01, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना)

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

   I. पंचायत सरकार भवन में आधार (AADHAAR) सेवा उपलब्ध कराने की अद्यतन स्थितिः–

   विदित हो कि दिनांक–15.04.2026 से 2000 पंचायतो में आधार सेवा शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 1896 पंचायतों में Desktop, 104 पंचायतों में Wired Internet Connection उपलब्ध है। केवल 1613 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का ही आधार सेवा उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल पर Enrollment कराया गया है। यह चिन्ताजनक है। इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया कि इसकी समीक्षा कर सभी 2000 पंचायतों में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का पोर्टल पर Enrollment कराकर प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।

   केवल बांका जिले द्वारा ही आधार किट का क्रय किया गया है। लक्ष्य को देखते हुए सभी DPRO को निदेश दिया गया कि अविलंब पंचायत से आधार किट क्रय कराना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही जिन पंचायतो में Wired Internet

Connection उपलब्ध नहीं है वहां यथाशीघ्र Internet Connection install करना सुनिश्चित करेंगें। निदेशित किया गया कि पंचायतों में बचे हुए कार्य को पूर्ण करते हुए दिनांक–21.05.2026 से सभी 2000 पंचायतो में आधार सेवा शुरू करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः–बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

II. मुक्तिधाम, शवदाह–गृह, मृत्यु प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थितिः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक बिहार में कुल 7826 स्थलों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें से प्रतिवेदित माह में 701 अंत्येष्टि की गयी है तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 में निर्धारित अवधि के अंदर 608 मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत की गयी है। भागलपुर, गोपालगंज, जमुई, कैमुर, नालंदा, पटना, पूर्वी चंपारण एवं सहरसा जिलों में प्रतिवेदित माह में पोर्टल पर प्रतिवेदन अद्यतन नहीं की गयी है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी तथा इन सभी जिलों के DPRO को निदेश दिया गया कि अतिंम संस्कार हेतु परम्परागत रूप से उपयोग किये जाने वाले सरकारी भूमि का सर्वेक्षण कर अंत्येष्टि की गयी संख्या को पोर्टल पर अद्यतन करना सुनिश्चित किया जाए।

सभी DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि शमशाम/कब्रिस्तान में किये गये अंत्येष्टि के मृतकों का मृत्यु प्रमाण–पत्र 24 घंटे के अन्दर मृतकों के संबंधितों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के अन्दर मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं निदेश भी निहित है।

साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित मुखिया द्वारा मोक्षधाम/शवदाह–गृह के निर्माण हेतु GPDP में शामिल कराने का अनुरोध किया गया। प्रखंड मुख्यालय अवस्थित पंचायत में मोक्षधाम/शवदाह–गृह का निर्माण पंचायत समिति के द्वारा किया जाना है, इसलिए इसे BPDP में शामिल कराने का अनुरोध किया गया।

विभाग के द्वारा प्रेषित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर स्थल विशिष्ट (Site Specific) प्राक्कलन तैयार कर नियमानुसार मोक्षधाम/शवदाह–गृह का निर्माण किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

विदित हो कि बिहार विकास मिशन द्वारा प्रत्येक 15 दिनों पर मोक्षधाम की समीक्षा की जाती है। निदेशित किया जाता है कि सभी DPRO नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर अद्यतन प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार.....

III. पंचायत सरकार भवन के हस्तांतरण एवं क्रियाशीलता की अद्यतन स्थितिः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–01.10.2025 को ग्राम पंचायत द्वारा 140, LAEO के द्वारा 367 एवं भवन निर्माण विभाग के द्वारा 322 निर्मित पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया था, परन्तु गया जी, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, दरभंगा, बक्सर एवं गोपालगंज जिलो द्वारा उसका हस्तांतरण कर क्रियाशील करने की प्रगति असंतोषजनक है। सभी DPRO को निदेशित किया गया कि निर्माण एजेंसी से समन्वय कर एक सप्ताह के अंदर विधिवत ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करते हुए पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिहार में कुल 2923 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया है जिसमें से 2466 पंचायत सरकार भवन संचालित है।

संचालित पंचायत सरकार भवनों में 105 में बैंक, 2452 में RTPS केन्द्र, 901 में Post Office, 381 में NOFN, 801 में पुस्तकालय एवं 14 में सुधा पार्लर का संचालन किया जा रहा है। सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

(ग) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण किये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक बिहार में तकनीकी सहायक द्वारा तैयार 737 पंचायतों के प्राक्कलन के विरूद्ध 603 पंचायतों में तकनीकी स्वीकृति, 426 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा 112 पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ की गयी है, जो चिन्ताजनक है। निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र सभी पंचायतों में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए तथा जिन पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, उन पंचायतों मे निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें।

कतिपय DPRO के द्वारा यह बताया गया कि चिन्हित भूमि पर 5–6 फीट गड्ढा होने पर कार्यकारी एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया कि संबंधित कार्यपालक अभियंता के साथ समस्याग्रस्त भूमि का निरीक्षण कर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IV. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क).मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–31.03.2026 तक चतुर्थ चरण मे सभी सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन किया जाना था परंतु अद्यतन स्थिति तक भागलपुर में एक भी सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन नहीं किया गया है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी

लगातार.....

तथा इस संबंध में भागलपुर के DPRO को निदेश दिया गया कि एकरारनामा की शर्तो के अनुसार संबंधित एजेंसी पर Penalty लगाकर विभाग को सूचित करें। जिन–जिन जिलों में एजेंसी द्वारा एकरारनामा की शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, उनके विरूद्ध एकरारनामा के शर्तों के आलोक में कार्रवाई कर विभाग को सूचित किया जाए। सभी DPRO को निदेशित किया गया कि दिनांक–31.05.2026 तक शत–प्रतिशत सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जाए।

चतुर्थ चरण में कार्यरत एजेंसी द्वारा भागलपुर में 51%, मधेपुरा में 42% एवं बेगूसराय में 58% ही Material Supply की गयी है। इन सभी जिलो के DPRO को निदेशित किया गया कि यथाशीघ्र संबंधित एजेंसी पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

चतुर्थ चरण में कई जिलों में कार्यादेश निर्गत होने के 90 दिनो के पश्चात भी कार्यरत एजेंसी द्वारा अधिष्ठापन कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। संबंधित DPRO को निदेशित किया गया कि सोलर लाईट के लैब टेस्टिंग मे नष्ट हुए समय को ध्यान मे रखते हुए एकरारनामा के शर्तो के आलोक में संबंधित एजेंसी पर नियमानुसार कार्रवाई कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

(ख). सभी चरणों को मिलाकर सिवान, नवादा, अरवल, पूर्णिया, जमुई, बांका, औरंगाबाद, कैमुर, मधेपुरा एवं पूर्वी चंपारण जिलों में अधिष्ठापित लाईटों के विरूद्ध CMS पर Integration का प्रतिशत काफी कम है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र CMS पर 100% Integration करना सुनिश्चित करें।

सभी DPRO को निदेश दिया गया कि दिनांक– 11.05.2026 तक सोलर स्ट्रीट लाईट की अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु जिला स्तर पर LED Display Pannel लगाकर फोटो विभाग के Whatsapp Group मे भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही CMS पोर्टल के URL को संबंधित MLA, MP, MLC एवं मुखिया को लिखित रूप में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए ताकि जन–प्रतिनिधि के साथ–साथ आम जनमानस को भी सोलर स्ट्रीट लाईट की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके।

(ग). जिलों द्वारा प्रावधानित 25% भुगतान की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नवादा, जहानाबाद, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी एवं समस्तीपुर जिलें में सभी चरणो में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखपुरा, वैशाली, नवादा, औरंगाबाद, पटना, सारण, सहरसा एवं बक्सर जिलें में सभी चरणो में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न् है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

लगातार.....

(घ). पंचायत सचिव द्वारा निरीक्षण किये गये सोलर स्ट्रीट लाईट के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूरे बिहार में निरीक्षण के समय मात्र 86% लाईट ही ON पायी गयी जिसमें से मधेपुरा, भागलपुर, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, बक्सर, किशनगंज, सहरसा एवं रोहतास जिले की स्थिति चिंताजनक है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से 2–2 वार्डो का चयन करते हुए नियमित रूप से प्रत्येक माह में सुविधानुसार किसी एक दिन तय कर पंचायत सचिव द्वारा सोलर लाईट का निरीक्षण कराया जाए तथा संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

V. पंचायत सचिव के प्रभार संबंधी प्रतिवेदन–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 3133 पंचायत सचिवों के विरूद्ध मात्र 715 ही कार्यरत है। शेष 2418 पंचायत सचिव हड़ताल पर है। हड़ताल पर गये पंचायत सचिव के स्थान पर 1146 कर्मियों को अतिरिक्त प्रभार दी गयी है।

यह भी पाया गया है कि हड़ताल पर गए 841 पंचायत सचिव सरकारी योजना हेतु षष्ठम राज्य वित्त आयोग से पैसे की निकासी कर रहे है। यह सरकारी कर्मी के आचरण एवं अनुशासन के विपरीत है। सभी DPRO/DDC को निदेश दिया गया कि संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

(अनुपालनः– बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. जिलों में लंबित न्यायिक वादों की जिलावार अद्यतन स्थिति :–

S.n	District Name	No. of CWJC	No. of MJC
01	Araria	00	00
02	Arwal	01	00
03	Aurangabad	09	00
04	Banka	01	01
05	Begusarai	05	00
06	Bhagalpur	03	01
07	Bhojpur	01	00
08	Buxar	05	01
09	Darbhanga	11	00
10	East Champaran	14	00
11	Gaya	04	00
12	Gopalganj	08	01
13	Jamui	05	00
14	Jehanabad	01	00
15	Kaimur	00	00
16	Katihar	05	00
17	Khagaria	09	00
18	Kishanganj	03	00

लगातार.....

19	Lakhisarai	00	00
20	Madhepura	01	00
21	Madhubani	11	00
22	Munger	04	00
23	Muzaffarpur	10	00
24	Nalanda	01	00
25	Nawada	02	00
26	Patna	08	00
27	Purnia	01	01
28	Rohtas	10	01
29	Saharsa	00	00
30	Samastipur	12	05
31	Saran	05	03
32	Sheikhpura	01	00
33	Sheohar	00	00
34	Sitamarhi	08	02
35	Siwan	04	00
36	Supaul	01	00
37	Vaishali	11	01
38	West Champaran	01	01
Total		**173**	**18**

पूर्वी चंपारण के DPRO द्वारा बताया गया कि केवल 06 CWJC मामले ही उनके यहाँ लंबित है। पूर्वी चंपारण के DPRO को निदेश दिया गया कि जिन मामलों मे प्रति शपथ–पत्र दायर हो चुका है, उन मामलों के ओथ नम्बर एवं तिथि 24 घंटे के अंदर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सभी लंबित MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VII. जन–शिकायत की अद्यतन स्थिति–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 450 मामलों के विरूद्ध मात्र 104 मामलें में ही जिलो से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें से अररिया, गोपालगंज, कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, शिवहर एवं सुपौल जिलों से शून्य प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि जन–शिकायत से संबंधित सभी मामलो पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए विभाग को प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

साथ ही यह भी देखा गया है कि जिस पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध परिवाद दायर होता है, उसी से जांच कराकर प्रतिवेदन विभाग को भेज दिया जाता है। इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया कि आरोपित पदाधिकारी/कर्मी से जांच ना कराकर किसी अन्य पदाधिकारी/कर्मी या टीम गठित कर जांच कराते हुए प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार.....

VIII. **15वीं वित्त आयोग/षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं के व्यय की अद्यतन स्थितिः–**

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्न्वत हैः–

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	व्यय प्रतिशत
01	जिला परिषद्	4.78%
02	पंचायत समिति	17.41%
03	ग्राम पंचायत	6.28%

बक्सर, लखीसराय, नवादा एवं सीतामढ़ी जिलो के जिला परिषद् द्वारा शून्य राशि व्यय की गयी है। उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि व्यय की गयी राशि की समीक्षा कर यथाशीघ्र व्यय करना सुनिश्चित करेंगें।

(ख) षष्ठ्म राज्य वित्त आयोगः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्न्वत हैः–

षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग		
क्र०सं०	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	व्यय प्रतिशत
01	जिला परिषद्	37.77%
02	पंचायत समिति	71.51%
03	ग्राम पंचायत	73.69%

नवादा, दरभंगा, पटना एवं मधुबनी जिलो के जिला परिषद् द्वारा सबसे कम राशि व्यय की गयी है। संबंधित उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एक माह के अंदर कम से कम 50% का व्यय करना सुनिश्चित करेंगें। उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि व्यय की गयी राशि की समीक्षा कर यथाशीघ्र व्यय करना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IX. **लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :–**

बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा की गयी एवं सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया अपने स्तर से अपने जिले के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

गया जी, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण एवं पटना जिलों के लंबित राशि की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया है कि

लगातार.....

अपने जिले का लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

12/5

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–9प० / विविध–01–247 / 2023 / 7326 / पं०रा० पटना, दिनांक 13 / 5 / 2026

प्रतिलिपिः–बिहार के सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निर्भय
12.5.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांकः–9प० / विविध–01–247 / 2023 / 7326 / पं०रा० पटना, दिनांक 13 / 5 / 2026

प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निर्भय
12.5.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांकः–9प० / विविध–01–247 / 2023 / 7326 / पं०रा० पटना, दिनांक 13 / 5 / 2026

प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

निर्भय
12.5.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव